प्रकरण संख्या 47/2016 रामा बनाम रूपलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.10.2022	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बागथल में आराजी नंबर 419/6 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके खातेदार भजा पिता काना जी डांगी थे, जिन्होंने उक्त आराजी में से 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि दिनांक 28.08.1964 को वादी के पिता नवला जी को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, जिनके पड़ोस वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर वादी काबिज चला आ रहा है। भजा के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी भूमि उनके नाम दर्ज रह जाने विक्रय करने की धमकी देते हैं। अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वाद वर्णित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.05.2013 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 27.06.2016 को यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2/1 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के सम्मन कभी डाक से प्राप्त नहीं हुए, न तामिल कुनिन्दा से प्राप्त हुए, जिससे उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। दिनांक 16.06.2016 को निर्णय की जानकारी होते ही तुरन्त अपील प्रस्तुत कर दी। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें **CT 2018 (2) (SC) Page 357, RBJ 2016 Page 482 (SC)** प्रस्तुत की। उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट तामिल होने के बावजूद जानबूझकर अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अपीलान्ट ने अपील जानबूझकर मयाद बाहर प्रस्तुत की है, जो खारिज की जावे। हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर पत्रावली का अध्ययन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों के अनुसरण में न्यायहित में मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। अपीलान्ट के विद्वान अभि[illegible] गुणावगुण पर अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों का पुनः [illegible] हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय अपीलान्ट अथवा उसके पिता द्वारा कभी भी विवादित आराजी या उसका कोई भाग विक्रय नहीं किया [illegible] कथित विक्रय प्रोपर स्टाम्प पर नहीं है न ही रजिस्टर्ड है, [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.09 13:38:14 IST
Reason: SelfAttested

स्थिति में यह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को सुने उसके खाते की आराजी का वादी को खातेदार घोषित कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें **RRT 2004 (1) Page 200, RBJ 2008 Page 354 (SC), RBJ 2008 Page 708, RRT 2004 (1) Page 1, RRT 20018 (1) Page 780, RRT 2004 (2) Page 935, RRT 2017 (1) Page 1100, RBJ 2018 Page 278, RBJ 2021 Page 288, DNJ 2019 Page 1377** प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया। अपने कथन के समर्थन में साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 व रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 (5) तथा न्यायिक नजीरें **RRD 1998 Page 77, RRD 1999 Page 105, RRT 2018 (Supp.) Page 118** प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक नजीरों को देखा। जमाबन्दी संवत् 2050 से 2053 में विवादित आराजी नंबर 419/6 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता भज्जा व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के सहखातेदारी में दर्ज है। वादी उक्त भूमि को भज्जा से क्रय करना बताते हैं एवं इस बाबत् उनके द्वारा एक 2½ रूपये के स्टाम्प पर विक्रय पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज पर पक्षकारों के हस्ताक्षर होना जाहिर नहीं होता है। साथ ही गवाह/पहचानकर्ता के भी हस्ताक्षर/निशानी अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 के खाते की आराजी का बिना उसे सुने एवं दस्तावेज का परीक्षण किये, वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का वाद डिक्री कर दिया है, जो अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों की रोशनी में विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। इस सम्बन्ध में अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा जो नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होती है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08.05.2013 को अपास्त की जाती है और पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं उन्हें सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.12.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 12.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
व पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.09 13:38:14 IST
Reason: SelfAttested